

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.1(1)साप्र / 2/2013

जयपुर, दिनांक २५-७-१३

—: आदेश :—

श्री जी. वी. रेड्डी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य बन संरक्षक, परियोजना सूचीकरण एवं समन्वय जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 14/2013 है एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2020 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.7.2013 के द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या 604, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर का कब्जा नहीं लेने के परिप्रेक्ष्य में प्रथम परिवर्तन मानते हुए राजकीय आवास संख्या 702, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश खतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदरथापन रथान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्थीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की रामाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुद्देश्य हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजावाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिकारी/अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रख्य/पलि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदर्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्गत नहीं किया गया है।
9. श्री जी. वी. रेड्डी अधिकारी से “कॉमन सुविधा” शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रामय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी कार्मिक क-1, विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पत्ति विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. कोधाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिविं/जन रवाठअभिविं/जयपुर विविविनिगम लि., गांधीनगर/मालवीयनगर जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. समस्त संबंधित अधिकारी।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
15. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

5 अग्र  
(मुन्नालाल शर्मा)  
शासन सहायक सचिव